न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 104 / 2008
आरसीएमएस नं. 2008 / 00150

धन्नाराम पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. भूराराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल
3. रामस्वरूप } पुत्रगण धन्नाराम जाति जाट निवासीयान सरदारपुरा तहसील
4. कृष्णलाल रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सरबती पुत्री धन्नाराम पत्नी रामस्वरूप निवासी खारा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2008
द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर
प्रकरण सं0 92 / 2004 अनवान भूराराम बनाम धन्नाराम
श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांक – 31.X.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष चक 9 के एम की 8.703 है0 चक नं. 21 आरडब्ल्यूडी की 1.771 है0 व चक 2 एसपीएम की 5.262 है0 भूमि बाबत घोषणा, खाता विभजान व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसमें उपरोक्त भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद होने एवं उसमें रेस्पोडेण्ट का 1/5 हिस्सा का हकदार होने का कथन किया एवं इसी अनुसार वाद स्वीकार करने का कथन किया। अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश करते हुए वाद को अस्वीकार किया प्रश्नगत भूमि को स्वयं अर्जित सम्पति होने का कथन करते हुए वादी/रेस्पोडेण्ट का कोई हक हिस्सा न होने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट व रेस्पो सं0 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा का खतोदार घोषित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद होने के आधार पर घोषणा व विभाजन चाहा था अपीलाण्ट ने जवाब दावा में यह स्पष्ट कथन किया था विवादित भूमि अपीलाण्ट की स्वयं अर्जित संपति है उक्त भूमि पूर्व में 1955 से पूर्व की कृषि भूमि थी व अपीलाट को भूमि कीमतन पुख्ता आवंटित की गई थी। इसलिए रेस्पो0 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलांट की पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 6 को वाद में बिना पक्षकार बनाये सम्पूर्ण भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पेडेण्ट सं0 1 ता 4 को ही हकदार घोषित किया गया है। उक्त आदेश विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पोडेण्ट संख्य0 1 के धारण की भूमि में से बतौर बालिग पुत्र भूमि आवंटन की गई थी जिस पर वादी रेस्पोडेण्ट का अपीलाण्ट के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना आधार के अपीलाण्ट की स्वयं अर्जित भूमि में रेस्पो0 को खातेदार घोषित किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वाद वफात रावताराम के प्रतिवादी नं. 1 के नाम बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार दर्ज हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का पैदायशी हक हिस्सा है। जमाबन्दी में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर समस्त भूमि की वसयीत दिनांक 09.12.92 को प्रतिवादी सं0 1 से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने ब0हि0ब0 वादी को अपने हक से महरूम रखने के लिए के निष्पादित करवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। वादी का इस भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है। वादी इसी अनुसार घोषणा करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट धन्नाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें रेस्पोडेण्ट ने अपना 1/5 हिस्सा होने एवं प्रश्नगत भूमि पैतृक होने का कथन करते हुए यह वाद पेश किया। प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि रेस्पोडेण्ट सं0 6 सरबती पुत्री धन्नाराम को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने सम्पूर्ण भूमि को संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होना माना है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय में किये गये संशोधन के अनुसार पुत्र व पुत्री को संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद में बराबर का हकदार माना गया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट धन्नाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट धन्नाराम की पुत्री रेस्पोडेण्ट सं0 6 सरबती पुत्री धन्नाराम को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय के प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2008 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.X.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.X.22

(करतारसिह पूनीया)
आर ए एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़